13- <u>अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ता की</u> विशिष्टयां :-

प्रदेश के आय—व्ययक में प्राविधानित धनराशि से अधिष्ठान के संचालन एवं अन्य प्रसांगिक व्यय हेतु बजट का आवंटन, एवं मासिक व्यय प्रतिवेदनों के संकलन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से व्यय का रिकान्सीलेशन का कार्य वित्त नियंत्रण, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के स्तर से किया जाता है।

चिकित्सा प्रतिपूर्ति से संबंधित प्रकरणों में प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालय तद्नुसार प्राप्तकर्ताओं को भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करते हैं।

केन्द्रीय औषधि भण्डार द्वारा दर अनुबंधों पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रदेश के समस्त चिकित्सालयों में औषधि / उपकरण क्रय कर परिधिगत जनता को उपलब्ध कराते हैं।